



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in




पत्रांक 1245 / ग्रा0नि0वि / कनि0 / अ0स0अ0(रि0) / स्थानान्तरण / 2024-25 दिनांक 16.08.2024
(स्थानान्तरण आदेश)



लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार तथा शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08.07.2024 के तहत स्थानान्तरण हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र0सं0	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1.	श्री दरबान सिंह	प्रखण्ड भिकियारसैण	प्रखण्ड बागेश्वर	धारा 17-1-(ख)-(चार) के अन्तर्गत
2.	श्री नरेन्द्र सिंह	अरथाई प्रखण्ड घनसाली	प्रखण्ड टिहरी	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
3.	श्री प्रदीप सजवाण	प्रखण्ड चमोली	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
4.	श्री जैनेन्द्र	प्रखण्ड भिकियारसैण	प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम)	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
5.	श्री उत्तम सिंह	प्रखण्ड बागेश्वर	प्रखण्ड चमोली	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
6.	श्रीमती प्रियंका प्रसाद	प्रखण्ड चम्पावत	प्रखण्ड नैनीताल (दुर्गम)	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
7.	श्री गिरीश चन्द्र कोटलिया	प्रखण्ड उत्तरकाशी	प्रखण्ड भिकियारसैण	धारा 17-1-(ख)-(छ) के अन्तर्गत
8.	श्री जितेन्द्र सिंह	प्रखण्ड उधमसिंहनगर	प्रखण्ड देहरादून (दुर्गम)	धारा 17-1-(ख)-(सात) के अन्तर्गत
9.	श्री शशांक बधानी	प्रखण्ड नैनीताल	प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम)	धारा 17-1-(ख)-(सात) के अन्तर्गत
10.	श्री हरीश थपलियाल	अरथाई प्रखण्ड घनसाली	प्रखण्ड हरिद्वार	धारा 17-(1)-(ग) के अन्तर्गत
11.	श्री गौतम लाल बुद्धियाल	प्रखण्ड डीडीहाट	प्रखण्ड नैनीताल (सुगम)	धारा 17-(1)-(ग) के अन्तर्गत
12.	कु0 नेहा धौधरी	प्रखण्ड चम्पावत	प्रखण्ड नैनीताल (सुगम)	धारा 17-(1)-(ग) के अन्तर्गत
13.	श्री सचिन कुमार	प्रखण्ड पौड़ी	प्रखण्ड हरिद्वार	धारा 17-(1)-(ग) के अन्तर्गत

- 1- प्रखण्डों में कनिष्ठ अभियन्ता की कमी के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी/लोक सेवा आयोग से चयनित कार्मिकों द्वारा प्रखण्डों में योगदान करने के उपरान्त कार्यमुक्त करेंगे।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्मिकों के कार्यभार वितरण के समय जिन कार्मिकों का दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण किया गया है, उन कार्मिकों को सुगम क्षेत्र में तैनाती न दी जाये, तथा जिन कार्मिकों को सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है उनको दुर्गम क्षेत्र में तैनाती न दी जाये।
- 7- शासनादेश संख्या-198739/2023/xxx (2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के अनुरार क्रमांक 01 से 09 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।



 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



 
 9/12

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- जिलाधिकारी टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी/नैनीताल/देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी/नैनीताल/देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 7- मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी/नैनीताल/देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 11- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

 
 9/12